

30प्र0 वॉटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना, पैक्ट
वाल्मी भवन, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

मंत्री परिषद की आज की बैठक में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु

लखनऊ, 31 मई, 2016

राजकीय नलकूपों/लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल से संचालित किये जाने हेतु गठित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 128507.93 लाख के व्यय प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत मा0 मंत्री परिषद की टिप्पणी।

- प्रदेश में ग्रिड संचालित 32047 राजकीय नलकूप तथा 249 लघु डाल नहरों के लोवोल्टेज, फ्लक्चुएशन एवं ट्रिपिंग की समस्या तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड माडल से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।
- वर्तमान में फिक्स्ड चार्ज के रूप में रू0 2160.00 प्रति बी.एच.पी. प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष लगभग रू0 1250.00 करोड़ का भुगतान विद्युत विभाग को किया जा रहा है।
- इसमें नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए फोटो वोलेटिक सोलर पैनल्स, सोलर सबमर्सिबल पम्प सेट, सोलर पम्प कन्ट्रोलर, इन्वर्टर, फ्लोमीटर, मॉडम, कैमरा एवं नेट ऊर्जा मीटर की स्थापना आदि के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।
- उक्त हाइब्रिड सिस्टम से 10-12 घण्टे राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों का संचालन किया जा सकता है। प्रथम चरण में 6076 राजकीय नलकूप एवं 57 लघु डाल नहरों की गठित परियोजना से 02 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता की वृद्धि होगी। साथ ही प्रस्तावित परियोजना से लगभग 142 मेगावाट सोलर हरित ऊर्जा का उत्पादन भी अनुमानित है।
- प्रस्तावित व्यवस्था से प्रति वर्ष विद्युत भुगतान पर लगभग रू0 150 करोड़ की बचत अनुमानित है, जिससे प्रस्तावित ऋण का भुगतान विद्युत बीजकों की बचत से किया जा सकेगा।
- परियोजना का वित्त पोषण एम.एन.आर.ई., भारत सरकार द्वारा लगभग 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में, 60 प्रतिशत इरेडा द्वारा लोन के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राज्यांश द्वारा किया जाना है।
- परियोजना के कार्य ई-निविदा के माध्यम से तीन भागों में, प्रतिष्ठित फर्मों से निविदाएं आमंत्रित करते हुए सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सम्पादित किये जाने हैं।

- उक्त हाईब्रिड सोलर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-02.05.2016 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 128507.93 लाख के व्यय प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

सम्पर्क सूत्र: मीडिया विशेषज्ञ, पैनल मो0-9412205971
email-isbr27@gmail.com फ़ैक्स 0522-2237664